राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

संशोधन प्रार्थना पत्र 120/2013/उदयपुर
संशोधन प्रार्थना पत्र 121/2013/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वार्ड प्रथम,वृत बी,उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मिनरल्स प्रोडक्ट आफ इण्डिया
उदयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 07.05.2014

संशोधन आदेश

ये दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड–प्रथम, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1340 व 1341/2010/उदयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड प्रथम, वृत–बी,उदयपुर बनाम मैसर्स मिनरल्स प्रोडक्ट आफ इण्डिया,उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2013 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों संशोधन प्रार्थना पत्रों में समान बिन्दु निहित है,इसलिए इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जायें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2013 के पेज 2 के पैरा 3की तीसरी पंक्ति में "क्योंकि व्यवहारी द्वारा की गई गेहूँ की समस्त बिक्री ई–1 तथा सी फार्म से समर्थित है" टंकित है जबकि गेहूँ के स्थान पर "डोलोमाईट(Dolomite)" टंकित होना चाहिए था। उन्होंने उक्त भूल रिकार्ड से परिलक्षित भूल होना बताते हुए उसमें संशोधन करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के कथन से अन्यथा कथन नहीं किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं निर्णय दिनांक 27.05.2013 का अवलोकन किया गया। निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि टंकण की त्रुटि से "डोलोमाईट(Dolomite)" के स्थान पर "गेहूँ" टंकित हो गया है। अतः उक्त भूल रिकार्ड से परिलक्षित होने से दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा

निर्णय दिनांक 27.05.2013 के पेज 2 के पैरा 3 की तीसरी पंक्ति में "क्योंकि व्यवहारी द्वारा की गई "गेहूँ" की समस्त बिक्री ई–1 तथा सी फार्म से समर्थित है" के स्थान पर "क्योंकि व्यवहारी द्वारा की गई "डोलामाईट(Dolimite)' की समस्त बिक्री ई–1 तथा सी फार्म से समर्थित है" पढे जाने का संशोधन आदेश पारित करते हुए निर्णय दिनांक 27.05.2013 में संशोधन किया जाता है। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि संशोधन आदेश की प्रति मूल निर्णय दिनांक 27.05.2013 के साथ दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जायें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
7/5/15